


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
॥ अ धि सू च ना ॥

पटना-15, दिनांक- 10-8-17

- संख्या-14/प्रो० 103/17 सा०प्रो- 10285/ बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-), के श्री अरविन्द कुमार झा, कोटि कमांक-572/11, सहायक निदेशक, नगर पालिका प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना (अपर समाहर्ता स्तर में उत्कृष्ट) को दिनांक-30.03.2017 के प्रभाव से वैचारिक रूप से एवं उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ सहित संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 37,400- 67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/- अपुनरीक्षित) के पद पर प्रोन्नति दी जाती है।
- यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।
  - श्री झा द्वारा वर्तमान में धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्कृष्ट किया जाता है।
  - वित्त विभागीय परिपत्र सं0-3637 दिनांक-10.04.2013 की कंडिका-2 के आलोक में प्रोन्नति की तिथि से अथवा वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण कराने के संबंध में महालेखाकार, बिहार /वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को एक माह के अन्दर विकल्प देना आवश्यक होगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
10/8/17

( राम विशुन राय )

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक 14/प्रो० 103/17 सा०प्रो- 10285/ पटना-15, दिनांक- 10-8-17  
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ ( आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से )/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक, नगर पालिका प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना / प्रबंधक, आई0 टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
10/8/17

सरकार के अवर सचिव ।